फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भागु **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 56/19**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 27.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प लदानी में पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीयां द्वारा भूमि विक्रय पत्र से खरीदी है। विक्रय पत्र में ही वादीयां ने अपना नाम भगु पत्नी बालु गाडरी अंकित किया था। अतः बिना विक्रय पत्र शुद्वि के नाम संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होने से वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीया द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में भगु पत्नी बालु गाडरी दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम भगु पत्नी गोकुल गाडरी है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा भूमि विक्रय पत्र से खरीदी है। विक्रय पत्र में ही वादीया ने अपना नाम भगु पत्नी बालु गाडरी अंकित किया था। अतः बिना विक्रय पत्र शुद्वि के नाम संशोधन किया जाना सम्भव नहीं होने से वाद को खारिज किये जावे।

चूंकि प्रकरण के अवलोकन से वादीया द्वारा स्वयं अपने वाद में भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताया हैं। विक्रय पत्र के अवलोकन से वादीया स्वयं ने अपना नाम भगु पत्नी बालु गाडरी दर्ज करवाया था। चूंकि उक्त राजस्व रेकार्ड में नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सही दर्ज हुआ हैं। नाम दर्ज करते समय किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं हुई हैं। वादीया ने स्वयं अपना नाम विक्रय पत्र में भगु पत्नी बालु गाडरी लिखवाया है इसलिए वादीया द्वारा चाही गई दाद इस वाद में पोषणीय नहीं है। वादीया चाहे तो विक्रय पत्र में शुद्वि पत्र के माध्यम से नाम संशोधन की कार्यवाही कर सकता हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:44:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती भगु पत्नी गोकुल गाडरी निवासी लदानी तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का लदानी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 56/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00118

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:44:18 IST
Reason: SelfAttested